न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) पीपाड़ शहर

पीठासीन अधिकारी, डॉ. लक्ष्मी नारायण बुनकर R.A.S.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 09/2019

प्रार्थी :

कल्याणसिंह पुत्र पोलसिंह जाति राजपूत निवासी खांगटा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।

बनाम

अप्रार्थीगण :

1. शान्ति पत्नि श्रवणराम
2. कानाराम पुत्र पूनाराम
3. फताराम पुत्र पूनाराम
4. जसाराम पुत्र पूनाराम (फौत के कायम मुकाम –

4/1 हाथीराम पुत्र जसाराम

4/2 लालाराम पुत्र जसाराम

4/3 पप्पुराम पुत्र जसाराम

4/4 अणदी पत्नि जसाराम जातियान कुम्हार निवासीगण खांगटा

4/5 सीता पुत्री जसाराम पत्नि किशनाराम जाति कुम्हार निवासी खारिया खंगार ।

4/6 मीरा पुत्री जसाराम पत्नि गोकलराम, जाति कुम्हार निवासी पून्दलू, तहसील मेड़ता जिला नागौर।

4/7 कमा पुत्री जसाराम पत्नि घासीराम जाति कुम्हार निवासी पून्दलू ।

4/8 राधा पुत्री जसाराम पत्नि रामदेव, जाति कुम्हार निवासी, शिव रोड़ गोटन, तहसील मेड़ता सिटी ।

5. पूराराम पुत्र मुकनाराम जाति जाट, निवासी खांगटा ।
6. भभूतराम पुत्र कालूराम जाति जाट, निवासी खांगटा ।
7. मंगाराम पुत्र भीखाराम जाति जाट, निवासी खांगटा ।
8. पुखराज दत्तक पुत्र सुगनाई जाति कुम्हार, निवासी खांगटा।
9. बक्साराम पुत्र मानाराम जाति जाट निवासी खांगटा, खसरा नम्बर 142/1 हाल निवास टेक्सी चौराया के पास एयर फोर्स मेस रातानाडा जोधपुर ।
10. भूमिधारी जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता :

श्री मोहम्मद फारूख खान प्रार्थीगण की ओर से

श्री निर्मल कटारिया, श्री गणपतलाल चौधरी अप्रार्थीगण की ओर से

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

निर्णय

दिनांक : 29.07.2019

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आर.टी.एक्ट के तहत पेश किया है जो इस प्रकार से है कि ग्राम खांगटा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि का विवरण निम्न प्रकार से है कि :-

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
740	127	1.8937 हैक्टयर	बारानी द्वितीय
	128	1.3187 हैक्टयर	बारानी द्वितीय
	129	1.4319 हैक्टयर	बारानी द्वितीय
	130	1.3510 हैक्टयर	बारानी तृतीय
	137	1.8850 हैक्टयर	बारानी द्वितीय
	138	2.0387 हैक्टयर	बारानी द्वितीय

उक्त वर्णित आराजी प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी कब्जासुद जमीन है । जिसमें प्रार्थीया की रहवासीय ढाणी भी बनी हुई है । जिसमें प्रार्थी परिवार सहित निवास करता आ रहा है । उम्मेद से खांगटा रेल्वे लाईन के सहारे सहारे आम सार्वजनिक रास्ता चलता आ रहा है । जिस रास्तो से अप्रार्थीगण सं. एक से आठ के खेत खसरा नम्बर 258, 259, 248, 142, 143, 144 में से पूरब माठ से सहारे सहारे होकर खसरा नम्बर 146 में से दक्षिणी माठ के सहारे सहारे होकर प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 127 तक निकटतम व सुलभतम रास्ता है जिस रास्ता को संलग्न नजरी नक्शा में लाल स्याही से मार्क ए, बी, सी, डी से दर्शाया गया है जिसको आगे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा । प्रार्थी ग्राम खांगटा का निवासी है तथा प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी जमीन ग्राम खांगटा की राजस्व सीमा में आयी हुई है जिसमें खसरानम्बर 127 में प्रार्थी की रहवासीय ढाणी है । प्रार्थी अपनी संयुक्त खातेदारी जमीन व रहवासीय ढाणी में आने जाने हेतु कोई कटाणी रास्ता नही है । इसलिए प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को वादग्रस्त रास्ता राजस्व रेकर्ड में रास्ता घोषित करवाने हेतु कहा तथा वादग्रस्त रास्ता प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी जमीन व रहवासीय ढाणी में आने जाने हेतु निकटतक व सुलभतम होने बाबत कहा लेकिन अप्रार्थीगण ने अपनी अपनी खसरान की जमीन में से प्रार्थी को रास्ता देने से साफ इन्कार कर दिया । उम्मेद से खांगटा जाने वाले रास्ता व प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी कब्जासुद जमीन, रहवासीय ढाणी के मध्य अप्रार्थीगण की खातेदारी जमीन खसरानम्बर 258, 259, 248, 142, 143, 144 व 146 आयी हुई है । जिसमें खसरा नम्बर 258 अप्रार्थी सं. आठ व खसरानम्बर 259 अप्रार्थी सं. सात, खसरा नम्बर 248 अप्रार्थी सं. छः, खसरा नम्बर 142 अप्रार्थी सं. पांच, खसरा नम्बर 143 अप्रार्थी सं. दो से चार, व खसरा नम्बर 144, 146 अप्रार्थी सं. एक की खातेदारी कब्जासुद जमीन है । लेकिन अप्रार्थीगण अपनी अपनी जमीन में से वादग्रस्त रास्ता देने से साफ इन्कार कर दिया जिससे प्रार्थी अपनी संयुक्त खातेदारी कब्जासदु जमीन व रहवासीय ढाणी में आ जा नही सकेगा। प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी कब्जासुद जमीन व रहवासीय ढाणी में आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है इसलिए प्रार्थीगण को वादग्रस्त रास्ता

उपखण्ड अधिकारी
... शहर (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

राजस्व रेकर्ड में रास्ता घोषित करवाने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ रहा है । प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी कब्जासुद जमीन खसरानम्बर 127 व रहवासीय ढाणी में अने जाने हेतु अप्रार्थीगण ने अपनी अपनी जमीन में से वादग्रस्त रास्ता देने से साफ इन्कार कर दिया तथा दिनांक 19.01.2019 को अप्रार्थीगण ने वादग्रस्त रास्ता राजस्व रेकर्ड में रास्ता के रूप में दर्ज करवाने साफ इन्कार करते हुए प्रार्थी को अपनी ढाणी में वादग्रस्त रास्ता जाने से इन्कार कर दिया, अगर अप्रार्थीगण ने वादग्रस्त रास्ता राजस्व रेकर्ड में रास्ता घोषित नही करवाया तो प्रार्थी को अपार क्षति होगी तथा प्रार्थी अपनी रहवासीय ढाणी व खेत खसरा नम्बर 127 आ जा नही सकेगा इसलिए प्रार्थी को अपनी ढाणी व खेत में आने जाने हेतु सबसे निकटतक व सुलभतम वादग्रस्त रास्ता होने से राजस्व रेकर्ड में 20 फुट चौड़ाई में वादग्रस्त रास्ता घोषित करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ रहा है । अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाया जाकर उम्मेद से खांगटा जाने वाले रास्ता से अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 258, 259, 248, 142, 143, 144 में से पूरब सीमा से होकर खसरा नम्बर 146 में से दक्षिणी सीमा में से 20 फुट चौड़ाई में प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 127 तक वादग्रस्त रास्ता घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड में रास्ता का इन्द्राज करते हुए नक्शा में रास्ता की तरमीम किया जाने का आदेश फरमावें ।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये । अप्रार्थी सं. 4/5, से 4/8 की ओर वकील निर्मल कटारिया ने वकालतनामा पेश किया व अप्रार्थी सं. 6, 7, 9, की ओर वकील गणपतलाल चौधरी ने वकालतनामा प्रस्तुत किया । अप्रार्थी सं. 1, 2, 3, 4/1 से 4/4, 5, 8, के सम्मन बाद तामील प्राप्त होने पर भी अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी । अप्रार्थी सं. 4/5 से 4/8 की ओर से वकील निर्मल कटारिया द्वारा जवाब पेश नही किये जाने पर उनका जवाब बन्द किया गया। अप्रार्थी सं. 6,7,9 की ओर से वकील गणपतलाल चौधरी ने जवाब प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी की ग्राम खांगटा तहसील पीपाड़ शहर की सरहद में संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 127, 128, 129, 130, 137, 138 जरूर आयी हुई है । प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि एवं निवास खसरा नम्बर 127 रकबा 1.8931 हैक्टयीर में पहुचने के लिए खसरा नम्बर 258, 259, 248, 142/1, 143, 144 में से पूर्वी दिशा की माठ के सहारे सहारे होकर खसरानम्बर 146 में से दक्षिणी माठ के सहारे सहारे होकर आगे रास्ते के लिए खसरा नम्बर 127 में कोई रास्ता नही निकलता है । प्रार्थी भूमि खसरा नम्बर 127 में आने जाने के लिए अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में नया रास्ता कायम करना चाहते है । जबकि प्रार्थी को उनकी खातेदारी भूमि में जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता मौजुद है , जो रास्ता उम्मेद स्टेशन से खांगटा गांव की ओर उतरी दिशा की ओर जाने वाली खसरा नम्बर 1139 की भूमि आयी हुयी है । जो खसरा नम्बर 1139 एक कटाणी रास्ता है, उक्त

Scanned by CamScanner

कटाणी रास्ता का उपयोग प्रार्थी व आस पड़ौस के किसान अपने अपने खेतो में पहुंचकर खेती इत्यादि करते है । खसरा नम्बर 1139 की भूमि के उतरी पश्चिमी दिशा की माठ के सहारे सहारे रास्ता चलता है जो खसरा नम्बर 1137 की भूमि में पहुचता है, जो रास्ता मार्क अ से ब है । इसी खसरानम्बर 1137 की भूमि के उत्तरी पश्चिमी दिशा की माठ के सहारे सहारे रास्ता चलता है, जो खसरानम्बर 107 की भूमि में पहुचता है, जो रास्ता मार्क स से द है । इसी प्रकार खसरानम्बर 107 की भूमि के उतरी पश्चिमी दिशा की माठ के सहारे सहारे रास्ता चलता है, जो खसरा नम्बर 108 की भूमि में पहुंचता है, जो रास्ता मार्क य से र है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 108 की भूमि के उतरी पश्चिमी दिशा की माठ के सहारे सहारे रास्ता चलता है, जो खसरा नम्बर 115 में पहुंचता है, जो रास्ता स से ह है । उसके बाद खसरा नम्बर 115 की भूमि के उतरी पश्चिमी दिशा की माठ के सहारे रास्ता चलता है जो रास्ता स से ह है । जो खसरा नम्बर 121 में पहुचता है, जो खसरा नम्बर 121 प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमि है । प्रार्थी अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 121 में कृषि कार्य भूमि खसरा नम्बर 1137, 107, 108, 115 के मार्क अ ब स द य र ल व स ह से होकर करता है । प्रार्थी खसरा नम्बर 121 में पहुंचकर अपनी खातेदारी भूमि खसरानम्बर 128, 127 में पहुंचता है, उससे प्रार्थी का आवागमन पीढ़ियो से चला आ रहा है । उससे प्रार्थी का आवागमन कई पीढियो से चला आ रहा है। इसी खसरा नम्बर 1137, 107, 108, 112, 115 के मार्क अ ब स द य र ल व स ह भाग के आम रास्ते से प्रार्थी अपने वाहन, ट्रेक्टर, मोटर साईकिल आदि साधन लाते व ले जाते है । प्रार्थी खसरा नम्बर 1137, 107, 108, 112, 115 के मार्क अ ब स द य र ल व स ह भाग के आम रास्ते का उपयोग करीब सेटलमेन्ट से पूर्व से काम में लेते आ रहे है । मौके पर चल रहे रास्ते का नजरी नक्शा जवाब प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है । प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 127 रकबा 1. 8931 हैक्टयर के रकबे का नाप व पड़ौस आदि लिखा गया है तथा अपने प्रार्थना पत्र में अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 127 में पहुंचने के लिए नजरी नक्शा में मार्क ABCD दर्शा रहे है, लेकिल दूसरी तरफ अप्रार्थीगण की भूमि का रकबा का विस्तृत विवरण नही बताया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व नजरी नक्शा में विरोधाभासी कथन है, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय नजरी नक्शा में अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि का रकबा का विवरण नही दिये जाने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है । अप्रार्थीगण की भूमि में से कोई रास्ता प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 127 में आने जाने हेतु का नही चलता है तथा न ही प्रार्थी ने अप्रार्थीगण की भूमि का कभी उपयोग व उपभोग किया है । प्रार्थी का यह कहना कतई गलत है कि अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के रास्ता अवरोध करने की बात कही गयी । जबकि प्रार्थी भूमि खसरा नम्बर 1139 के कटाणी रास्ता से खसरा नम्बर 1137, 107, 108, 112, 115 के मार्क अ ब स द य र ल व स ह मार्ग से हमेशा की तरह अपना दैनिक जीवन के काम में आने वाले रास्ते का उपयोग व

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

उपभोग कर रहा है । प्रार्थी ने गलत एवं मनगढ़त तथ्यो के आधार पर झुठे तथ्य प्रार्थना पत्र में लिखे है । प्रार्थी का वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 258, 259, 248, 142/1, 143, 144, 146 में से आने जाने का उपयोग व उपभोग का एकमात्र रास्ता नही है । प्रार्थी का वैकल्पिक रास्ता खसरा नम्बर 1137,107, 108, 112, 115 के मार्क अ ब स द य र ल स ह व भाग से होकर गुजरने का मौजुद है । प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ नजरी नक्शा पेश किया है उक्त नजरी नक्शे में अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 121 तथा खसरा नम्बर 1139 का कटाणी रास्ता का उल्लेख या अंकित नही किया गया है, प्रार्थी सुविधाजनक रास्ते की आड़ में नया रास्ता कायम नही रकवा सकता है । प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा में बताया गया मार्ग जो प्रार्थी का आत्यंतिक आवश्यकंता का मार्ग नही है । अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र सव्यय हर्जा खर्चा सहित खारिज फरमाया जावें ।

इसी प्रकार तहसीलदार पीपाड़ शहर ने मौका कमिश्नर रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि संलग्न नजरी नक्शा पर मार्क A B C D E F G H I J K लाल डोटेट लाईन से दर्शाया गया प्रस्तावित रास्ता है । ग्राम खांगटा के रेल्वे स्टेशन उम्मेद से रेल्वे लाईन के सहारे सहारे पूर्व राईको, राजपूतो की ढाणीयो को जाने वाले कटाणी रास्ते से खसरा नम्बर 258 की पूर्वी मेड के सहारे सहारे मार्क A से BC मार्क C से D खसरा नम्बर 259 की पूर्वी मेड़ के सहारे सहारे मार्क D, मार्क D सें EF तक खसरा नम्बर 248 की पूर्वी मेड़ के सहारे सहारे, मार्क F से GH खसरा नम्बर 142/1 की पूर्वी मेड़ के सहारे सहारे मार्क H से I खसरा नम्बर 143 की पूर्वी मेड़ के सहारे सहारे, I से J तक खसरा नम्बर 143 की पूर्वी मेड़ के सहारे सहारे तथा मार्क J से K खसरा नम्बर 146 की दक्षिणी मेड़ के सहारे सहारे प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 127, 128 की पश्चिमी मेड़ मार्क A से K प्रस्तावित रास्ता है । यही एकमात्र रास्ता से जो कदीमी व सुखाचार के तहत प्रार्थी अपने खेतो में बनी आवासीय ढाणियो में से रेल्वे स्टेशन व ग्राम खागटा तथा अन्यत्र सभी जगहो पर आने जाने हेतु विगत समय में तथा वर्तमान में भी उपयोग करता है । इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है । प्रार्थी को रास्ते की अत्यत आवश्यकता है । सबसे न्युनतम दूरी का सुगम रास्ता एकमात्र यही रास्ता है । सुखाचारी कदीमी रास्ता है लेकिन राजस्व रेकर्ड में दर्ज नही है । इसी सुखाचारी रास्ते से ग्राम खांगटा के आम लोग भी अपने खेतो में तथा आवासीय अन्य कई ढाणियो में आवागमन करते है । यही एक वैकल्पिक रास्ता है । प्रस्तावित रास्ते

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

भूमि प्रति हैक्टयर 69498/– रूपये है । प्रस्तावित क्षैत्रफल की मालयित प्रत्येक खसरेवार निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	खसरा नम्बर जिसमें रास्ता प्रस्तावित है	प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई चौड़ाई मीटर में	कुल प्रस्तावित क्षैत्रफल	वर्तमान DLC रेट से कुल मालियत	सम्बन्धित खातेदार जमाबन्दी अनुसार
1	146	112 X 4 मीटर (मार्क J से K तक)	488 वर्गमीटर	3392/–	शांति पत्नि श्रवणराम जाट
2	144	मार्क J से I तक 180 X 4 मी.	720 वर्गमीटर	5004/–	शांति पत्नि श्रवणराम जाट
3	143	मार्क H से I तक 65 X 4 मी.	260 वर्गमीटर	1807/–	जसाराम 1/3, कानाराम 1/3, फताराम 1/3 पिता पूनाराम कुम्हार
4	142/1	मार्क G से H = F, G 130+60 = 190 X 4 मी.	760 वर्गमीटर	5282/–	बक्साराम / गानाराम जाट
5	248	मार्क E से F तक + D से E तक 178+64 = 242X 4 मी.	800 वर्गमीटर	6727/–	भभूतराम / कालूराम जाट
6	259	मार्क C से D तक 200X 4 मीटर	800 वर्गमीटर	5560/–	मंगाराम / मीकाराम जाट
7	258	मार्क AB + BC से 193+23 = 216X 4 मी.	864 वर्गमीटर	6005/–	पुखराज गोद पुत्र सुगनाई कुम्हार
कुल			4860 वर्गमीटर	33777/–	

कुल प्रस्तावित रास्ते की भूमि 4860 वर्गमीटर जिसकी मालियत 33777/– रूपये बनती है । जिसकी नियमानुसार दुगुनी राशि 67554/– रूपये बनती है ।

बहस वकुलाय सुनी गयी । वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाया जाकर उम्मेद से खांगटा जाने वाले रास्ता से अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 258, 259, 248, 142, 143, 144 में से पूरब सीमा से होकर खसरा नम्बर 146 में से दक्षिणी सीमा में से 20 फुट चौड़ाई में प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 127 तक वादग्रस्त रास्ता घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड में रास्ता का इन्द्राज करते हुए नक्शा में रास्ता की तरमीम किया जाने का आदेश फरमाने का निवेदन किया है ।

इसी प्रकार वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थी की बहस के कथनो का विरोध करते हुए प्रार्थना पत्र मनगढ़त तथ्यो के आधार पर अप्रार्थी सं. 6, 7, 9 को हैरान परेशान करने की नियत से पेश किया है । ज़िसे खर्चा हर्जा सहित खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया है ।

उपखण्ड अधिकारी
बोपाड़ शहर (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकुलाय सुनी गयी । पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो, जबाब अप्रार्थीगण एवं तहसीलदार पीपाड़ शहर की मौका कमिश्नर रिपोर्ट अनुसार ग्राम खांगटा के ख.न. 127, 128, 129, 130, 137, 138, में आने जाने हेतु संलग्न नजरी नक्शा अनुसार अप्रार्थीगणो के खेत खसरा नम्बर 146, 144, 143, 142/1, 248, 259, 258 में लाल स्याही से दर्शाये अनुसार A B C D E F G H I J K रास्ता है । जो नजदीकी रास्ता हैं जो दिया जाना प्रस्तावित किया है।

अतः प्रार्थीगण के खेत ख.न. 127, 128, 129, 130, 137 में आने जाने हेतु अप्रार्थी के खेत ख.न. 146, 144, 143, 142/1, 248, 259, 258 में प्रस्तुत कश्मिनर रिपोर्ट में दर्शायें लाल स्याही से दर्शाये मार्क A B C D E F G H I J K की भूमि 4860वर्ग मीटर रास्ते के उपयोग हेतु घोषित की जाती है। ग्राम खांगर्टा के ख.न. 146, 144, 143, 142/1, 248, 259, 258 में से रास्ते के काम आयी भूमि 4860 वर्ग मीटर की मालियत अनुसार राशि 67554/– रूपये की राशि अप्रार्थी कों अदा करें । मौका कश्मिनर रिपोर्ट,मौका फर्द व नजरी नक्शा निर्णय का अंग समझा जावें। तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण से मालयीत अनुसार राशि 67554/– रूपये का चैक/डीडी प्राप्त कर अप्रार्थीगण को जिनकी भूमि रास्ते के उपयोग में ली गयी उन खातेदारो को भुगतान करें एवं रास्ते की भूमि की तरमीम कर रास्ता खुलवाया जावें। इस आशय की तहरीर तहसीलदार पीपाड़ शहर के नाम जारी हो खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

(डॉ. लक्ष्मी नारायण बुनकर)
सहायक कलक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

निर्णय आज दिनांक 29.07.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

(डॉ. लक्ष्मी नारायण बुनकर)
सहायक कलक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर (जोधपुर)

Scanned by CamScanner